International Journal of Applied Research 2015; 1(9): 1143-1146

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(9): 1143-1146
www.allresearchjournal.com
Received: 21-06-2015
Accepted: 26-07-2015

डॉ सदानंद राय
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ सदानंद राय
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन आधारित औद्योगीकरण

डॉ सदानंद राय

सांराश
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन आधारित औद्योगीकरण द्वारा ग्राम्य जन–जीवन को रोजगारपरक बनाकर उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत सिद्वान्त पर मध्यम्, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करके उनमें गत्यात्मकता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से ग्रामीण भारत का नया स्वरूप उभरकर सामने आएगा और इसकी प्रत्येक छोटी से छोटी इकाई की अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से उन्नयन् होगा।

कूट शब्द– पशुपालन, दुग्ध, उत्पादन, औद्योगीकरण

प्रस्तावना
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं डेयरी उद्योग का विकास एक तरफ सम्पूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपयोगी है, तो वहीं दूसरी और कृषि के पूरक धन्धे के रूप में ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रहार करने एवं कृषकों की आय मे वृद्धि करने का एक सशक्त माध्यम् भी है। अध्ययन क्षेत्र एक ग्रामीण भाग होने के कारण इसके आर्थिक विकास के लिए यहाँ निवास करने वाले लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार पशुपालन को बढ़ावा देकर आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि पशुपालन कृषि अनुषंगी व्यवसाय है जिसे आसानी से यहाँ के निवासी अपने स्थाई रोजगार के रूप में चुन सकते हैं।
पाश्चात्य देशों में कृषि के आधुनीकीकरण और यन्त्रीकरण के साथ पशुधन विकास भी नियोजित ढंग से हुआ है तथा इसका राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसमें कृषि कार्य में पशुओं से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग सदियों से होता चला आ रहा है। फ्रांस, डेनमार्क, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि आय में पशुधन का भाग क्रमशः 64, 82, 79, 78 तथा 80 प्रतिशत है, जबकि भारत की कृषि आय का मात्र 14 प्रतिशत भाग ही पशुधन से मिल पा रहा है। 1972 की पशुगणना के अनुसार सम्पूर्ण विश्व के कुल पशुओं के 25 प्रतिशत पशु भारत में थे जिसमें लगभग 50 प्रतिशत पशु दुग्ध उत्पादक थे। भारत में प्रति गाय औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन 220 लीटर है, जबकि एक उन्नतशील नस्ल की गाय का औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 2500 लीटर तक होता है। डेनमार्क, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीटजरलैण्ड में क्रमशः 4200, 3270, 3280 किग्रा प्रति गाय औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन होता है। भारत की 94 प्रतिशत गायें तो प्रतिदिन एक लीटर से भी कम दुग्ध देती हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कृषि के अनुषंगी व्यवसाय के रूप में पशुधन के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक रीति–रिवाजों में गाय को बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया है। यहाँ इसकी पूजा की जाती है, लेकिन गाय को माता कहने वाला देश इसको इतना उपेक्षित कर दिया है कि उसकी स्थिति दयनीय हो गयी है। वर्तमान समय में 18.03 करोड़ गायों और 6.10 करोड़ भैसों से देश की आधी जनसंख्या की भी दुग्ध की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती, अगर अच्छी नस्ल की गायें जो वर्ष में लगभग 2500 लीटर तक दूध देती हैं, ऐसी गायें रहें तो देश के सम्पूर्ण जनसंख्या के दुग्ध की आवश्यकता मात्र 220 लाख गायों से ही पूरी हो जाएगी। अतः कृषि में सुधार के साथ–साथ पशुओं की नस्लों में भी सुधार की महती आवश्यकता है। इसके साथ ही पशु सेवा, पशु स्वास्थ्य, उत्तम चारा, पशु–बीमा योजना आदि की उचित व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पशुओं द्वारा दूसरा लाभ यह है कि इनसे प्राप्त गोबर का उपयोग बायो संयन्त्रों में करके एक ओर घरेलू ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है तो दूसरी ओर इसका प्रयोग जैविक ऊर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है।

अतएव समुचित ग्रामीण विकास के लिए पशुधन का विकास भी आवश्यक है। पशुपालन उद्योग के विकास में उत्तम और भरपूर चारे की आवश्यकता होती है अतः चारा उत्पादन के लिए सिंचाई के साधनों की भी उत्तम व्यवस्था जरूरी होगी। इसके लिए फसल चक्र में संशोधन करके अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के साथ–साथ पशु चारा उत्पन्न करने के कार्यक्रम भी बनाने होंगे। सिंचित क्षमता बढ़ाने से कृषि विकास के अन्य मार्ग भी प्रशस्त होंगे और हरे चारे में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे पशुपालन कार्यक्रम को स्वतः ही प्रभावी बल मिलेगा। अस्तु सिंचाई के साथ–साथ पशुपालन कार्यक्रम को भी निश्चित रूप से सम्बद्ध करना आवश्यक है और इसके साथ ही पूर्णकालिक रोजगार के लिए मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट और सुअर पालन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ये कार्य कम समय एवं कम पूँजी में अधिक लाभकारी हैं।

पशुपालन कृषि अनुषंगी व्यवसाय होने के साथ ही कृषि की मेरु भी है। विकसित एवं अच्छी प्रजाति के पशुधन के अभाव में कृषि विकास असम्भव है। इसीलिए वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अर्न्तगत पशु–प्रजनन कार्यक्रम और आपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा पशुओं के नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण, बकरी, भेड़, एवं ऊन विकास कार्यक्रम, कुक्कुट विकास कार्यक्रम, चारा विकास कार्यक्रम आदि द्वारा पशुधन का विकास किया जा रहा है।

जनपद की आर्थिक समस्याओं के समाधान में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इसकी महत्ता में और अधिक वृद्धि हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूध, घी, तथा मक्खन और पनीर का उत्पादन कर जनपद की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की जा सकती है। वर्तमान समय में जनपद मे पशुधन का विकास नस्ल–सुधार, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा दुग्ध से सम्बन्धित उत्पादों को बढ़ाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। वर्ष 2015 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल पशुओं की संख्या को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है

तालिका 1: जनपद में कुल पशुओं की संख्याः वर्ष 2015

क्रम संख्या	पशु प्रजातियाँ	संख्या
1	गोजातीय पशु	151237
2	महिष जातीय पशु	198312
3	भेड़ें	5695
4	बकरे एवं बकरिया	277042
5	घोड़े एवं टट्टू	303
6	सुअर	16301
7	अन्य पशु	680
कुल पशु		649570

श्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपदः 2015

वर्ष 2015 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल पशुओं की संख्या 649570 है, जिसमें 151237 गो–जातीय पशु, 198312 महिष जातीय पशु, 5695 भेड़ें, 277042 बकरे एवं बकरियाँ, 303 घोड़े एवं टट्टू, 16301 सुअर व 680 अन्य पशु हैं। इन सभी पशुओं का कुल पशुओं से प्रतिशत क्रमशः 23.28, 30.53, 0.88, 42.65, 2.51 और 0.1 है। वर्ष 2015 की पशुगणना के अनुसार जनपद में पशु संख्या का घनत्व 224 पशु प्रति वर्ग किमी है। इस जनपद में पशुओं की संख्या सम्पूर्ण मण्डल के पशुओं की संख्या का 25.68 प्रतिशत है जो औसत चौथाई भाग से भी कुछ अधिक है। इसके साथ ही वर्ष 1997 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल पशुओं की संख्या 524000 थी जो वर्ष 2015 में बढ़कर 650000 हो गयी। यह संख्या वर्ष 1997 से 126000 अधिक है।

वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2015 में महिष वंशीय पशुओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पशुओं की संख्या में कमी आयी है, जिसका मुख्य कारण पशुओं के प्रति यहाँ के निवासियों के लगाव का कम होना और इनके रख–रखाव हेतु अत्यधिक खर्च तथा उचित व्यवस्था के अभाव का होना है। जनपद में पशुधन विकास हेतु वर्ष 2014–15 के अन्त तक 22 पशु चिकित्सालय, 35 पशु सेवाकेन्द्र, 21 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्र कार्यरत हैं, जिसमें पशु चिकित्सकालय एवं पशु स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अन्तर्गत बीमार पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत 187223 रोगी पशुओं के विभिन्न रोगों का निदान पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों पर किया गया जो गत वर्ष से 752 अधिक रहा। पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव हेतु विभाग द्वारा टीकाकरण किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु गलाघोटू के 183047, लॅगड़िया के 1768, स्वाइन फीवर के 1968, फाउल पाक्स के 5084 तथा रानीखेत के 23416 टीके लगाए गए। इस प्रकार इस वर्ष जनपद के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कुल 35283 टीके लगाए गए, जो गत वर्ष लगाए गए टीके की अपेक्षा कम है। अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पशुओं में संक्रामक रोगों का प्रकोप धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। जनपद में स्थापित पशु सेवाकेन्द्रों के माध्यम् से गाय और भैंसों के नस्लों में सुधार का कार्य भी किया जाता है। वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत यहाँ कुल 42472 गायों एवं भैंसों को कृत्रिम रूप से गर्भित किया गया। यहाँ कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार के कारण उन्नतशील नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित गति से वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी क्रमशः वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध व्यवसाय में लगे हजारों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और इसके साथ ही अन्य व्यवसाय में लगे लोगों का रुझान भी दुग्ध व्यवसाय के तरफ हो रहा है।

वर्तमान समय में जनपद में पशुपालन व्यवसाय विकसित करने के लिए स्वयं सहायता समुहों का भी गठन किया गया है, जिसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन कार्य को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लागों को पशुपालन के लिए प्रेरित भी करते हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। जनपद में पशुपालन के साथ ही साथ अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से सुअर, बकरी एवं कुक्कुट पालन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शिक्षित नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त कर इन इकाइयों की स्थापना बैंकों से ऋण प्राप्त करके करते हैं। इस ऋण में अनुसुचित जाति को 10000 रूपये तथा सामान्य और पिछड़ी जातियों को 7500 रूपये की धनराशि पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसके लिए यहाँ के लोग अपने क्षेत्र के खण्डविकास स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारी से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं।

जनपद में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है तथा वर्तमान समय में लगभग 67 गाँवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ 2010 दुग्ध उत्पादक सदस्यों के माध्यम् से औसतन एक करोड़ लीटर दुग्ध प्रतिदिन उपार्जित कर उचित कीमत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में महिला डेयरी परियोजना के माध्यम् से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में जनपद में कुल 75 महिलाओं को दुग्ध व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करते हुए उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद के ग्रामीण अँचलों में स्थापित पशु चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा एवं रोग नियन्त्रण का कार्य भी उचित स्तर पर किया जाता है। रोगों के नियन्त्रण हेतु पशु पालकों से मात्र दो रूपये

का टीका–शुल्क लेकर विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ ही पशु पालकों को पशुओं के सामान्य रोगों के लक्षण एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी विभाग द्वारा विभिन्न साहित्य एवं प्रचार समितियों द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराया जाता है। बरसात के मौसम में पशुओं में भयंकर बीमारियों के प्रकोप की संभावना रहती है जिसके रोकथाम के लिए बीमारी पलने के पूर्व ही पशु सेवाकेन्द्रों पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के भयंकर बीमारियों से रोकथाम हेतु पशुओं में टीकाकरण की सुविधा मात्र पाँच रूपये प्राप्तकर प्रदान की जाती है।

पशुपालन के अन्तर्गत शूकर पालन भी एक अत्यन्त लाभप्रद व्यवसाय है। यह मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि की तुलना में आय सृजन का एक सरलतम श्रोत है। जनपद में शूकर पालन का कार्य खटिक और डोम जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। इसके माँस का उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में तथा बालों का उपयोग ब्रश एवं अन्य सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। वर्ष 2014–15 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल 25281 शूकर और 1568 पिगरी यूनिट स्थापित हैं जिनके माध्यम् से शूकर पालन के विकास हेतु विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। जनपद में शूकर पालन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर इस उद्योग का विस्तार किया जा रहा है।

जनपद की जलवायु रेशम उत्पादन के लिए भी अनुकूल पायी गयी है। चूँकि यहाँ की मिट्टी बलुई और दोमट दोनों प्रकार की है, जो शहतूत पौध रोपड़ के अनुकूल है। शहतूत के पौधे के लिए अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है जो यहाँ उचित स्तर पर समयानुसार प्राप्त हो जाती है। यह उद्योग कृषि पर आधारित एक ग्रामीण कुटीर उद्योग के रूप में अपनाया जाता है। अतः इस आशय से ग्रामीण अँचलों के भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों एवं अल्प आय वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की असीम क्षमता है। इस उद्योग के मुख्य घटक जैसे शहतूत पौध रोपड़, रेशम कीट पालन, धागा एवं वस्त्र निर्माण के माध्यम् से अच्छे रोजगार उपलब्ध होते हैं। पूर्व अनुभवों में पाया गया है कि रेशम उत्पादन में लघु एवं सीमान्त कृषकों की भागीदारी मुख्य रूप से पायी गयी है। जनपद में राजकीय रेशम फार्मों से पत्ती लेकर कीट पालन का कार्य किया जाता है। अतः यहाँ कृषि के साथ रेशम उत्पादन को जोड़कर कृषक और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शहतूत के पौधों को खेतों के चारों तरफ कृषि वानिकी के रूप में लगाकर रेशम कीट पालन आसानी से किया जा सकता है और अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सकता है।

जनपद में कुक्कुट पालन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पशु गणना 2015 के अनुसार जनपद में कुल कुक्कुटों की संख्या 236623 थी। वर्तमान सामाजिक परिवेश में कुक्कुट पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इसे यहाँ के लोग विशेष रूचि से अपना रहे हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। अण्डे एवं मांस की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए जनपद में कुक्कुट पालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनपद में विकासखण्ड स्तर पर सघन कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत कुक्कुट पालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं परामर्श दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में जनपद में कुल 404 कुक्कुट फार्म कार्यरत रहे हैं।

जनपद में पशु विकास कार्यक्रम यहाँ के समस्त विकासखण्डों में एक समान संचालित नहीं हो पा रहा है। इसके सेवरही एवं सुकरौली विकासखण्डों में पशु विकास कार्यक्रम की स्थिति अति उच्च है। हाटा तथा कप्तानगंज में पशु विकास कार्यक्रम की स्थिति उच्च है। मोतीचक और फाजिलनगर में पशु विकास कार्यक्रम की गति मध्यम् तथा शेष विकासखण्डों में पशु विकास कार्यक्रम की गति अति निम्न है। यही कारण है कि इस जनपद में पशुपालन उद्योग में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही है।

अन्ततः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जनपद दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के बाद भी इस उद्योग में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है, अतः यहाँ कुछ समस्याओं का समाधाान करके दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में और अधिक वृद्धि की जा सकती है जो निम्नलिखित हैं–

- जनपद में अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ दुग्ध व्यवसाय में वृद्धि की असीम सम्भावनाएँ हैं, लेकिन प्रमुख समस्या यह है कि यहाँ के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध की उचित कीमत नहीं प्राप्त हो पाती है। दुग्ध व्यापारी जिस दुग्ध को शहरों में 25 से 30 रूपये प्रति लीटर की दर से बेचते हैं, वह दूध वे किसानों से मात्र 13 से 14 रूपये प्रति लीटर की दर से ही खरीदते हैं। इसके अलावा इन ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय पशुओं द्वारा प्राप्त दूध की उचित खपत नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यापारी इस समय के दूध को खरीदकर बेचने में असमर्थ होते हैं। इसप्रकार अगर किसान अच्छी नस्ल के दूधारू पशु को रखता है तो उसके सामने दूध के विक्रय की समस्या खड़ी हो जाती है, अतः वह चाहकर भी अधिक दूध देने वाले पशुओं को नहीं रख पाता है।
- जनपद में पशु चारे की कमी और पशुओं के बेहतर देखभाल की कमी के कारण डेयरी उद्योग का विकास उचित स्तर तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु सेवाओं की भारी कमी है। फलतः यहाँ बड़ी संख्या में पशु संक्रामक बीमारियों के कारण मर जाते हैं।
- किसानों में चारा उत्पादन में रूचि जागृत करने एवं उचित मूल्य पर चारा बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार और दुग्ध उत्पादक समितियों को विशेष प्रयास करनी चाहिए।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि बिना स्थानीय पशु नस्ल सुधार एवं संवर्द्धन के सम्भव नहीं हैं। अतः जनपद में पशु नस्ल सुधार की हेतु फ्रीजन सीमन बैंक की स्थापना प्रत्येक विकासखण्डों में की जानी चाहिए। इसके अलावा जहाँ कृत्रिम गर्भाधान सम्भव नहीं हैं, वहाँ प्राकृतिक गर्भाधान हेतु अच्छे नस्ल के साड़ों के वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रति वर्ष पशु पालकों के पशुओं का सामूहिक बीमा दुग्ध संघों के माध्यम् से किया जाना चाहिए। इसके अलावा दुग्ध सहकारी समितियों के पंजीकृत सदस्यों का जीवन–बीमा एवं दुर्घटना बीमा कराकर लाभान्वित किया जाना चाहिए।
- महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'स्टेप' कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास कर एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाकर पशुपालन के माध्यम् से अतिरिक्त धनोपार्जन द्वारा पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण दुग्ध समितियों पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों के हित संरक्षण एवं उनमें दुग्ध सहकारिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से दुग्ध समिति पर कम्प्यूटरीकृत दुग्ध परीक्षण यन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से समिति स्तर पर दुग्ध उत्पादकों के विश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
- कच्चे दूध की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु जनपद स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी अभियान चलाया जाना चहिए। इसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पशुओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूध निकालने वाले बर्तनों की सफाई हेतु उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक दुग्ध उत्पादक समिति पर 'बल्क मिल्क कूलर्स' की स्थापना भी की जानी चाहिए। इससे कच्चे दूध को अति शीघ्र ठण्डा कर टैंकरों के माध्यम् से सम्बन्धित संयन्त्रों में भेजा जा सकेगा और दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में सफलता मिलेगी।
- विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन परियोजना के

क्रियान्वयन में सहयोग का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों को सौंपा जाना चाहिए और इन बैंकों के माध्यम् से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दुग्ध व्यवसाय के प्रति प्रेरित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दुधारू पशुओं के क्रय हेतु इन बैंकों से सामान्य शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं पारदर्शिता लाने के लिए समिति स्तर पर 'मिल्का स्टेशन' स्थापित किया जाना चाहिए। इससे दुग्ध संकलन व उसका टेस्टिंग कार्य तीव्र गति से होगा, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों में संघों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा समिति में सदस्यों की भागीदारी में भी वृद्धि होगी।
- दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं लागत को कम करने के लिए नवीन तकनीकी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए और पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। समय–समय पर पशुओं को रोग–निरोधक टीके, चिकित्सा सुविधा, हरा चारा, सन्तुलित पशु आहार और मिनरल मिक्सचर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- जनपद में संभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा पशुपालकों को जागरूक करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए और इसके माध्यम् से प्राथमिक पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी जानकारियों से उन्हें लैस किया जाना चाहिए।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि दूध आमजन के उपभोग की वस्तु है। अतः यह आवश्यक है कि किसी ऐसे साधन द्वारा सरकार दूध के मूल्य एवं उसके उपभोग पर नियन्त्रण रखे जिससे एकाधिकार की प्रवृति को बढ़ावा न मिल सके। इसके अलावा जनपद को प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले जनपद के रूप में प्रतिष्ठित करने और अग्रणी बनाने हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। इस हेतु अध्याय 8 में एक नियोजनात्मक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है जिसपर अमल कर जनपद में अधिकाधिक अन्न उत्पादन के साथ–साथ दुग्ध उत्पादन और पशुपालन व्यवसाय को एक नया आयाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी यह दायित्व है कि वे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से योजनाओं को क्रियान्वित करें ताकि जनपद में सही अर्थों में श्वेत क्रान्ति को सफल बनाया जा सके।

संदर्भ

1. शुगर टेक्नोलाजिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया।
2. विकिपीडियाः एक मुक्त ज्ञानकोष।
3. योजना पत्रिका, अप्रैल, 2008.
4. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपदः 2005.
5. ग्रामीण विकास सांख्यिकी पत्रिकाः राष्ट्रीय विकास संस्थान, हैदराबाद, (1983)